

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

पीपी केस नं 384/2017

धारा 107 द.प्र.स.

3-17
 TR-5017

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
कचेंच - पक्षी बनाम रामानुज प्रसाद	21/11/17
..... धाना अप्राथमिकी सं० 09/17	2.5.17
पाप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि जाँच पदाधिकारी	23.5.17
सं० अ०जि०/अ०जि० ने जाँच कर अपना	02/6/17
प्रतिवेदन धाना प्रगारी धाना एवं	14/6/17
अ० निरी० ने अग्ररारित किया	29/6/17
है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच	14/7/17
..... लेकर	31/7/17
तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	16/8/17
भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	30.8.17
सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	12/9/17
व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	26/9/17
है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	12/10/17
द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	30/10/17
कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 20.3.17 को 10.30 बजे	10/10/17
पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	27/11/17
लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो	12/12/17
समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाया।	26/12/17
लेखापित एवं संशोधित	11/01/18
.....	29/1/18
.....	12/2/18
.....	समाप्त

अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद